राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग–1)

क्रमांक : प.24(3)प्र.सु./सम/अनु.–1/2015 जयपुर दिनांकः 16-10-15

: : परिपत्र : :

विषय : अधिकारियों/कर्मचारियों की सरकारी कार्यालयों में समय पर उपस्थिति के संबंध में।

राज्य सरकार ने कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर परिपत्र जारी कर कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये हैं। जिनके अन्तर्गत जिला/उप खण्डीय स्तर पर निरीक्षण करने हेतु जिला कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी/तहसीलदार को उनके क्षैत्र के समस्त कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी आकस्मिक निरीक्षण दलों का गठन किया गया है।

कुछ कार्यालयाध्यक्षों/संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की उपस्थिति का निरीक्षण तत्परता से नहीं किया जा रहा है।

अतः समस्त राजकीय कार्यालयों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं/निगमों/बोर्डों आदि के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण कर अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य स्थलों पर न केवल समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें अपितु यह भी सुनिश्चित किया जावे कि कार्मिक कार्यालय समय के दौरान पूरे समय सीटों पर उपस्थित रहकर राजकार्य सम्पादित करें। निरीक्षण दलों से भी यह अपेक्षित किया जाता है कि वे अपने–अपने क्षैत्रों में स्थित कार्यालयों विशेषकर आमजन से जुडे संस्थानों यथा विद्यालय, चिकित्सालय, पंचायत कार्यालय, सहकारी समिति, पानी–बिजली से जुडे कार्यालय, तहसील/उपखण्ड कार्यालयों का नियमित रूप से उपस्थिति का निरीक्षण कर विलम्ब से उपस्थित होने वाले कार्मिकों के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ह0/–

(शक्ति सिंह राठौड)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
6. समस्त उप शासन सचिव।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर।
9. पंजीयक, राजस्थान उच्च्य न्यायालय, जयपुर /जोधपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
12. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
13. राज्य सरकार की समस्त स्वायत्तशाषी संस्थाऐं/निगम/मण्डल इत्यादि।
14. समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ, सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव